डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / छात्रवृत्ति / 2024 / 3620 दिनांकः 31 जुलाई, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः शैक्षिक सत्र 2023–24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु समय–सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 शासन के दिनांक 24.07.2024 एवं 11.07.2024 के साथ संलग्न अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 एवं समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्र संख्या 87 / 2024 / 1942 / 26–3–2024 / सी.एन.–1820919 दिनांक 08.07. 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023–24 में दशामोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय–सारणी के अनुसार छात्र/छात्राओं के स्तर से संशोधन हेतु अंतिम तिथि 15.02.2024 निर्धारित थी। एफिलियेटिंग एजेंसी यथा–परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा डी0एल0एड0 (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन अर्थात बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा पैरामेडिकल पाठयक्रमों का परीक्षा परिणाम घोषित उक्त तिथि के उपरान्त घोषित होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिस्पांस प्राप्त न होने तथा बैंक खाते का आधार सीडेड न होने के कारण (ट्रांजेक्शन फेल सहित) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नही मिल सकी है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उपरोक्त कारणों से वंचित छात्र/छात्राओं के हेतु संलग्न समय–सारणी निर्गत की गयी हैं।

अतः समस्त संस्थाओं से अपेक्षा है कि शासन के निदेशों के क्रम में छात्रवृत्ति योजना वंचित छात्र/छात्राओं द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए विश्वविद्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0, शासन।
2. उप सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0, शासन।
3. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

संख्या-

प्रेषक,

मानिक चन्द्र,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ0प्र0 कानपुर।
6. कुलसचिव, एम0एम0एम0टी0यू0, उ0प्र0 गोरखपुर।
7. निदेशक , राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा/ आजमगढ़/अम्बेडकर नगर/सोनभद्र/कन्नौज/ मैनपुरी/ बिजनौर/गोण्डा/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी/कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर/उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक 24-07-2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रो को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने एवं बजट व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के पत्र संख्या-846/52- 3-2024-52-3099/109/2023, दिनांक 15-07-2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(मानिक चन्द्र)
अनु सचिव।

Signed by
Manik Chandra
Date: 24-07-2024 10:58:18

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के पत्र संख्या-846/52-3-2024-52-3099/109/2023, दिनांक 15-07-2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
(मानिक चन्द्र)
अनु सचिव।

COE / DR(R) / DR(D)

2182
25/7/24

Reg.
25/7/24

AR(SP)
26/07/2024

26/07/24

संख्या-1579/सोशि-3-2024/वक्फ० (श्री)

संख्या-3558 प्रमुख सचिव/प्रा०शि०/व्या०शि०कौ०वि०/2024

विशेष सचिव कार्यालय मे प्राप्त दिनांक 19.7.24

संख्या-846/52-3-2024-52-3099/109/2023

प्रेषक,

हरि बख्श सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

18-07-2024

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव,

प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा,

कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,

लखनऊ।

2688/WTE(U)/2024

19.7.24

(वेद प्रकाश शर्मा)

विशेष सचिव

प्राविधिक शिक्षा विभाग,

उ०प्र० शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने एवं बजट व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1565/अ०स०क०नि०-1638/दशमो०छात्र०शु०प्र०/2024 दिनांक 03.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समाज कल्याण की भांति वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में अनुमति प्रदान करते हुए प्रस्तावित समय-सारिणी जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी के अनुसार छात्रों के स्तर से संशोधन हेतु अंतिम तिथि 15.02.2024 निर्धारित थी। एफिलियेटिंग एजेंसी-यथा परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज द्वारा डी०एल०एड० (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजुकेशन अर्थात बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम व स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम उक्त तिथि के उपरांत घोषित होने, पी०एफ०एम०एस० से रिस्पांस प्राप्त न होने तथा बैंक खाते का आधार सीडेड न होने के कारण (ट्रान्जेक्शन फेल सहित) सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वर्ग	छात्रों की संख्या	अनुमानित धनराशि
1	समाज कल्याण विभाग	सामान्य वर्ग	9100	2500.00
2	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	25479	5400.00
3	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग	अल्पसंख्यक वर्ग	3214	803.50

3- उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग के उपरोक्त कारणों से वंचित छात्रों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	छात्रों के स्तर से आवेदन सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में गत वर्ष के परीक्षा परिणाम को ठीक किया जाना एवं ऑनलाइन सब्मिट करना।	15 जुलाई, 2024 से 24 जुलाई, 2024 तक
2	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना। ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्रों द्वारा वांछित	16 जुलाई, 2024 से 30 जुलाई, 2024 तक

22/7/2024

	संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
3	पी०एफ०एम०एस० द्वारा रिस्पांस प्राप्त करना। पी०एफ०एम०एस० द्वारा निरस्त/लम्बित डाटा का रिस्पांस एन०आई०सी० स्तर से मंगाना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
4	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र को ब्लॉक करना। विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संसथा की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
5	एन०आई०सी० द्वारा स्कूटनी छात्रों द्वारा सही किये गये डाटा को एन०आई०सी० की राज्य इकाई में परीक्षाफल का परीक्षण आदि कर जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
6	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा पर निर्णय लिया जाना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	08 अगस्त, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक
7	मांग सृजन जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा पर निर्णय लिया जाना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	22 अगस्त, 2024 तक
8	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वर्ष 2023-24 के ट्रांजेक्शन फेल वाले छात्रों को पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अंतरित किया जाना।	30 अगस्त 2024 तक

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से पचार-प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य/अन्य पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Hari Bux Singh
Date: 15-07-2024 17:58:22

(हरि बख्श सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तद्दैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।

2- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

3- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०. लखनऊ।

6- निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- निदेशक. एन०आई०सी० राज्य इकाई. योजना भवन. लखनऊ।

9- रजिस्ट्रार, उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद्, लखनऊ।

10- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव

सख्या-

प्रेषक,

मानिक चन्द्र,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ0प्र0 कानपुर।
6. कुलसचिव, एम0एम0एम0टी0यू0, उ0प्र0 गोरखपुर।
7. निदेशक , राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा/ आजमगढ़/अम्बेडकर नगर/सोनभद्र/कन्नौज/ मैनपुरी/ बिजनौर/गोण्डा/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी/कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर/उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक 11-07-2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-87/2024/1942/26-3-2024/C.N.-1820919, दिनांक 08-07-2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मानिक चन्द्र)

अनु सचिव।

Signed by Manik Chandra
Date: 11-07-2024 14:39:48

2113
12/7/24

DR(D) / COE

Reg.
11/7/24

AR (Shivam) / (SP)

12/07/2024

4004

Sri Manoj

26/07/24

26-3099/198/2024-समाज कल्याण अनुभाग-3-Social Welfare Department

1/686110/202

संख्या-57/2024/1942/26-3-2024/C.N.-1820919

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 08 जुलाई, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1089/स0क0/ शिक्षा-अ/7/257/2024-25 दिनांक 01.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी के अनुसार छात्रों के स्तर से संशोधन हेतु अंतिम तिथि 15-02-2024 निर्धारित थी। एफिलियेटिंग एजेंसी यथा- परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा डी0एल0एड0 (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन अर्थात बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम उक्त तिथि के उपरांत घोषित होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिस्पांस प्राप्त न होने तथा बैंक खाते का आधार सीडेड न होने के कारण (ट्रांजेक्शन फेल सहित) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकी है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	विभाग का नाम	वर्ग	छात्रों की संख्या	अनुमानित धनराशि
1	समाज कल्याण विभाग	सामान्य वर्ग	9100	2500.00
2	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	25479	5400.00
3	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग	अल्पसंख्यक वर्ग	3214	803.50

3- उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के उपरोक्त कारणों से वंचित छात्रों के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	<u>छात्रों के स्तर से आवेदन को सही करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में गत वर्ष के परीक्षा परिणाम को ठीक किया जाना ऑनलाइन सब्मिट करना।	15 जुलाई, 2024 से 24 जुलाई, 2024 तक

प्रमुख सचिव/प्रा0शि0/व्या0शि0कौ0वि0/2024

(वेद प्रकाश राय)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा,
कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

विशेष सचिव कार्यालय मे
प्राप्त दिनांक

2	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 जुलाई, 2024 से 30 जुलाई, 2024 तक
3	पी0एफ0एम0एस0 द्वारा रिस्पांस प्राप्त करना पी0एफ0एम0एस0 द्वारा निरस्त/लम्बित डाटा का रिस्पांस एन0आई0सी0 स्तर से मंगाना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
4	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र को ब्लॉक करना विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
5	एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी छात्र द्वारा सही किये गये डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में परीक्षाफल का परीक्षण आदि कर जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
6	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	08 अगस्त, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक
7	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा एवं वर्ष 2023-24 के ट्रांजेक्शन फेल वाले छात्रों का माँग सृजन कराना।	22 अगस्त, 2024 तक
8	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा, वर्ष 2023-24 के ट्रांजेक्शन फेल वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	30 अगस्त, 2024 तक

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Rajani Kant Pandey
Date: 08-07-2024 11:14:52

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/ नियोजन/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।